न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

समक्ष

श्री एम0के0सिंह

सदस्य

पुनरावलोकन प्रकरण कमांक 873–II/2014 – विरूद्व आदेश दिनांक 6–11–2013 पारित व्दारा – सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर – प्रकरण कमांक 2354–पीबीआर/13

विवा हाईवेज प्रा0लि0 कंपनी बोरगांव बुजुर्ग
पंधाना जिला खण्डवा तर्फे महेश बोरसे व संजय
कांकरिया पता अशोका मार्ग, अशोका हाउस,
बडाला, नासिक — — आवेदक

विरूद्व

1– म0प्र0शासन व्दारा
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)पंधाना
जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा — — —अनावेदक

(आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री डी. टी. गुप्ता)

(शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र शुक्ला)

आ दे श

(आज दिनांक 21 –5– 2015 को पारित)

यह पुनरावलोकन आवेदन न्यायालयीन प्रकरण कमांक 2354–पीबीआर/2013 में पारित आदेश दिनांक 6 नवम्बर 2013 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि न्यायालयीन प्रकरण कमांक 2354–पीबीआर/2013 में पारित आदेश दिनांक 6 नवम्बर 2013 से आवेदक व्दारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की गई है जिसके विरूद्व यह पुनरावलोकन आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम बोरगांव बुजुर्ग तहसील पंधाना जिला पूर्व निमाड़ खंडवा की भूमि खसरा नंबर 1546 रकबा 17.43 हैक्टर में से 2.53 हैक्टर पर गौण खनिज हेतु

ख

दिया

कंपनी को पटटा दिया गया था किन्तु कंपनी व्दारा अन्य स्थान पर अवैध मुरम उत्खनन किया गया है। दिनांक 14–5–13 एंव 24–5–13 को कंपनी के कारिन्दा महेश बोरसे एंव संजय कांकरिया को कारण बताओ नोटिस जारी हुये हैं जिसमें विचारण न्यायालय ने कंपनी की ओर से नियुक्त अभिभाषक का निवेदन अस्वीकार करके न तो प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों की प्रति प्रदाय की गई और न ही पर्याप्त एंव युक्तियुक्त अवसर उत्तर प्रस्तुत करने हेतु दिया गया। कंपनी की ओर से नियुक्त अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत मेमो आफ अपिरियंस को भी गलत ढंग से खारिज कर दिया गया एंव प्रकरण में मात्र दो दिन का समय उत्तर प्रस्तुत करने एंव सुनवाई हेतु दिया गया । पेशी 31–5–2013 नियत की गई जबकि कंपनी के कर्मचारी महेश बोरसे को सूचना पत्र 24–5–13 को दिया गया। कंपनी को बचाव के लिये युक्तियुक्त अवसर भी नहीं दिया गया और यही तथ्य न्यायालयीन प्रकरण कमांक 2354– पीबीआर/2013 में आदेश दिनांक 6 नवम्बर 2013 पारित करते समय विचार में नहीं लिये गये, जिसके कारण रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय व्दारा जारी कारण बताओ सूचना विधिसम्मत न होने से निरस्त किये जाने तथा रिव्यु आवेदन स्वीकार करने की प्रार्थना की गई है।

3/ पुनरावलोकन आवेदन में वर्णित तथ्यों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी पंधाना के प्रकरण कमांक 3/67/2012–13 तथा न्यायालयीन प्रकरण कमांक 2354– पीबीआर/2013 के अवलोकन से स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी पंधाना ने आवेदक कंपनी के कर्मचारी महेश बोरसे व संजय कांकरिया को प्रथम कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 14–5–13 जारी करके पत्थर उत्खनन एंव मुरम उत्खनन करना बताते हुये बाजार मूल्य का चार गुना वसूली हेतु नोटिस जारी कर उत्तर तलब किया है तथा 28–5–13 को सुनवाई हेतु बुलाया है जबकि कंपनी की ओर से 21–5–13 को आवेदन प्रस्तुत कर संबंधित दस्तावेजों की प्रतियॉ उत्तर प्रस्तुत करने हेतु मांगी गई, अनुविभागीय अधिकारी पंधाना के प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है जिससे यह पता चल सके कि जिन आधारों पर कारण बताओ नोटिस दिनांक 14–5–12 जारी किया गया है , ऐसे कोई दस्तावेज कंपनी को अथवा उसके नियुक्त कारिन्दों को उपलब्ध कराये गये हों और जिन आधारों पर कंपनी के विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व किया गया है ऐसे दस्तावेजों अर्थात स्थल जांच रिपोर्ट, स्थल के

Review 873-II/14

साक्षीगण के कथन अथवा पंचनामा आदि की प्रतियॉ जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उनकी प्रतियॉ कंपनी को अथवा उसके नियुक्त कारिन्दाओं को देना अनिवार्य थी जो नहीं देना पाया गया है। इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी व्दारा नोटिस दिनांक 14–5–13 के संलग्न स्थल जांच रिपोर्ट, स्थल के साक्षीगण के कथन अथवा पंचनामा आदि की प्रतियॉ नहीं भेजना एंव कंपनी के चाहे जाने पर उपलब्ध न करना अनुविभागीय अधिकारी पंधाना की कार्यवाही को दूषित होना माना जावेगा और जब अनुविभागीय अधिकारी पंधाना व्दारा प्रकरण कमांक 3/67/2012–13 में की गई प्रारंभिक कार्यवाही ही दूषित है, उनके व्दारा कंपनी के विरूद्व पारित आदेश भी दूषित श्रेणी में माना जावेगा, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी पंधाना व्दारा प्रकरण कमांक 3/67/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 11–6–13 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी पंधाना व्दारा प्रकरण कमांक 3/67/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 11–6–13 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। तदनुसार पुनरावलोकन स्वीकार किया जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर